न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 179–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–12–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज प्रकरण कमांक 66/अपील/2013–14

....

शीशराम पुत्र स्व0श्री सुखराम सिंह
निवासी ग्राम देलावाडी तहसील गौहरगंज
जिला रायसेन म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1–शिवलाल पुत्र स्व0 श्री रीछपाल जाट
निवासी ग्राम पवेरा पोस्ट छीलरो, तहसील नारनोल,
जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा
2–निम्वो पुत्री स्व0 श्री रीछपाल जाट
निवासी सागरपुर इमराड़ा पोस्ट जाटदूलोट,
तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा
3–सन्तरा पुत्री स्व0 श्री रीछपाल जाट
पत्नि श्री टेकचन्द जाट निवासी सागरपुर इमराडा
पोस्ट जाटदूलोट तहसील नारनोल,
जिला महेन्द्रगढ हरियाणा

.... अनावेदकगण

– – –

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच.आर.पटेल, अभिभाषक, अनावेदकगण

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21.5.15 को पारित)

आवेदक ने यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–11–1978 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के

समक्ष प्रथम अपील दिनांक 6–9–2013 को लगभग 34 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 66/अपील/12–13 दर्ज कर दिनांक 15–12–14 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की ओर से नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 30–11–78 के विरूद्ध वर्ष 2013 में प्रथम अपील लगभग 34 वर्ष से भी अधिक के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और इतने अधिक विलम्ब कों क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रारंभिक सुनवाई पर तर्क हेतु नियत किया गया था, परन्तु प्रारंभिक सुनवाई नहीं हुई और प्रवाचक ने ही अभिलेख मंगाये जाने और अनावेदकगण को सूचना पत्र जारी करने के आदेश कर दिये । इस आधार पर कहा गया कि प्रकरण में बिना प्रारंभिक सुनवाई करे ही अभिलेख मंगाने संबंधी व अनावेदकगण को सूचना देने संबंधी की गई कार्यवाही विधि विपरीत है । अनावेदकगण द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के संबंध में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलम्ब के कारण का कोई उल्लेख नहीं है क्योंकि अपील मेमों व धारा 5 के आवेदन पत्र में गुणदोष संबंधी आधार प्रस्तुत किये गये हैं और विलम्ब के संबंध में कोई भी आधार उल्लेखित नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि वर्ष 1989 में पिता की मृत्यु हुई थी और मृत्यु के समय अनावेदकगण के पिता ने कहा था कि उनकी ग्राम देलावाडी में भूमि है । इस आधार पर कहा गया कि वर्ष 1976 से 1989 तक अनावेदकगण के पिता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है और वर्ष 1989 से 2013 तक अनावेदकगण द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । तर्क के समर्थन में एमपीडब्ल्यूएन 25 एवं 2008 आरएन 153 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 में स्पष्ट

उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा अनावेदकगण के गलत पते का उल्लेख कर सूचना पत्र तामील कराकर बिना उसे सुनवाई का अवसर दिये प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नामान्तरण करा लिया गया है, ऐसी स्थिति में समय सीमा लागू नहीं होगी, क्योंकि जहॉ अनावेदकगण पर सूचना की तामीली नहीं हुई हो और उसे बिना सुने आदेश पारित कर दिया है ऐसा आदेश अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने से आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होना परिलक्षित नहीं होती है । इस आधार पर कहा गया कि यदि प्रकरण में गुणदोष पर सुनवाई कर आदेश पारित होगा तो उभयपक्ष के मध्य न्यायिक कार्यवाही होगी ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क के संदर्भ में अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक पर विधिवत् सूचना पत्र की तामीली कराये बिना उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करते हुये आदेश पारित किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये विलम्ब क्षमा किया जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा में मान्य करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । वैसे भी सामान्यतः प्रकरण का निराकरण समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर नहीं किया जाकर गुणदोष पर किया जाना चाहिये ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर